न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 446/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुरेश उर्फ खेताराम पुत्र लुम्बाराम, निवासी– बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली।		1. धरमी पुत्री लूम्बाराम निवासी– बिसलपुर तहसील बाली 2. तहसीलदार (भू0अ0) बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, बाली के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 68/2023 अनवान धरमी बनाम खेताराम वगैराह में दिनांक 31.10.2023 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29 सितम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली में अंकित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को निरस्त करवाये जाने हेतु पेश की गई जिसे उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.12.2022 को स्वीकार कर नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक लुम्बाराम पुत्र पनाराम के वारिसान की जॉच करते हुए रेस्पो0 संख्या एक एवं अन्य के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2. तहसीलदार, बाली के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 की पालना में प्रकरण संख्या 68/2023 अनवान धरमी बनाम सुरेश वगैराह दर्ज करने तथा दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2023 के द्वारा नामा0 संख्या 1078 को निरस्त कर रेस्पो0 संख्या एक धरमी पुत्र लुम्बाराम के नाम नामान्तरकरण दायर करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार बाली के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.10.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभय पक्षकारान् की सुनी गई।

3. अपीलान्ट के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2024 के अनुसार यह कथन किया गया कि प्रार्थी खाने–कमाने हेतु दिल्ली शहर में रहता है तथा उपरोक्त प्रकरण की जानकारी, अपने गांव आने पर एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय की नकले प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को आवेदन किया गया, जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 22.02.2024 को नकले प्रदान की गई। तत्पश्चात अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तैयार करवाई जाकर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2024 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दिनाक 12.03.2024 को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2024 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया गया कि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के ख0सं0 534, 953 कुल 02 खसरा रकबा 2.79 हैक्टर स्थित है, के सम्बन्ध में अपीलान्ट के पिता लुम्बाराम पुत्र पूनाराम के देहान्त के बाद स्वीकृत फौतेदगी नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को स्वीकृत किया गया। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष दिनांक

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

25.11.2021 को एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को निरस्त करवाये जाने हेतु पेश की गई जिसे उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.12.2022 को स्वीकार कर नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक लुम्बाराम पुत्र पूनाराम के वारिसान की जॉच करते हुए रेस्पो0 संख्या एक एवं अन्य के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

5. तहसीलदार, बाली के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 की पालना में प्रकरण संख्या 68/2023 अनवान धरमी बनाम सुरेश वगैराह दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट को जरिये नोटिस स्व. लूम्बाराम का पुत्र होने सम्बन्धी सबूत व गवाह पेश करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष उपस्थित होकर समाज का एक लिखत पेश किया गया जिसमें यह बताया गया है कि दिनांक 20.10.2015 को बिसलपुर के समस्त पंच ने इक्ट्ठा होकर भूराराम पुत्र भीकाजी का पुत्र सुरेश कुमार उर्फ खेताराम को वर्ष 1987 में गोद लिया था, उक्त लिखत पर समस्त पट्टा मेघवाल समाज के पंचों के गवाह व अंगुठा निशान किये हुए है जिसमें रेस्पो0 संख्या एक धरमी के भी हस्ताक्षर है तथा उसके भी बयान कलमबद्ध किये गये है जिसमें धरमी देवी ने अपीलान्ट को गोद लेना अस्वीकार किया है। प्रकरण में पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें लुम्बाराम के एकमात्र धरमी को जायन्दा पुत्री बताया गया। तहसीलदार बाली के द्वारा अपीलान्ट के लुम्बाराम पुत्र भूराराम के गोद जाने के सादे कागज पर दिनांक 20.02.2016 का बिसलपुर पट्टा के समस्त पंत्रों का लिखत के अलावा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश करने के आधार पर उक्त प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधि के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि अपीलांट स्व. लुम्बाराम का दत्तक पुत्र है तथा लुम्बाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट को गोद लिया था। धनाराम पुत्र भैराराम, लछाराम पुत्र मूलाराम, मगनाराम पुत्र जेखाराम

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इत्यादि लोग अपीलान्ट की गोद रस्म में शामिल हुए थे। सन् 1987 में गोद भरई रस्म का कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी रीति–रिवाज सम्पन्न किये गये तथा गोद लेने व देने को पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया गया था। अतः लूम्बाराम जी की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट दत्तक पुत्र के नाते लुम्बाराम की सम्पति पर अधिकार रखता है। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2023 काबिल निरस्त के है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि अपीलान्ट के गोद जाने के पश्चात अपीलान्ट लूम्बाराम जी के नाम से जाना जाने लगा तथा समाज के जो भी कार्यक्रम होते रहे, उनके अपीलान्ट खेताराम पुत्र लूम्बाराम के नाम से रूपये जमा कराता था। लूम्बाराम जी की मृत्यु से पूर्व लूम्बाराम की सेवा चाकरी अपीलान्ट ही करता था। रेस्पो0 संख्या एक ने उनकी कभी सेवा नहीं की थी। दिनांक 21.10.2015 को समाज के मौजिज लोगों की उपस्थिति में एक लिखत लिया गया कि सुरेश कुमार पारगी उर्फ खेताराम पुत्र भूराराम पारगी को गोद लिये जाने के कारण समस्त नामान्तरकरण के दस्तावेज सुरेश कुमार उर्फ खेताराम पुत्र भूराराम के स्थान पर गांव री होती पोती में सुरेश कुमार उर्फ खेताराम पुत्र लुम्बाजी दर्ज किया जायेगा। उक्त पंचायत में रेस्पो0 संख्या एक ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि अपीलान्ट ही लुम्बाराम के गोदपुत्र है, परन्तु रेस्पो0 संख्या एक ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2023 निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराये।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी ओर से अपील पर पूर्व में दिनांक 11.09.2024 को प्रस्तुत की गई लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने सुनवाई यह अभिकथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत इस अपील के शीर्षक में धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किये जाने का वर्णन जो किया है, वह धारा द्वितीय अपील से सम्बन्धित होने से अपीलान्ट की अपील काबिल खारिज है।

9. रेस्पो. संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलांट सुरेश को लुम्बाराम जी ने अपने जीवनकाल में कभी भी गोद नहीं लिया था, बावजूद इसके

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर फौतेदगी नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। खातेदार लूम्बाराम जी की एकमात्र पुत्री के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या एक धरमी जीवित है। उक्त फौतेदगी नामा0 संख्या 1078 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बाली के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई थी। उक्त प्रथम अपील में वर्तमान अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया था परन्तु अपीलान्ट बावजूद तलबी के उक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी बाली के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को उनके निर्णय दिनांक 21.12.2022 द्वारा स्वीकार किया जाकर नामा0 संख्या 1078 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक लुम्बाराम पुत्र पूनाराम के वारिसान की जॉच करते हुए निर्देशित किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक एवं अन्य के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस प्रकार सक्षम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार बाली ने अपीलान्ट को तलब कर स्व0 लूम्बाराम द्वारा गोदनामा बाबत दस्तापेश पेश करने के निर्देश दिये गये। अपीलान्ट के पास स्व. लूम्बाराम के द्वारा गोद लिये जाने बाबत कोई दस्तावेज नहीं है एवं लूम्बाराम की मृत्यु के बाद गलत, झूठे व फर्जी दस्जावेज, लिखत तैयार करवाये गये जिसमें एक लिखत दिनाक 20.10.2015 का फौतेदगी नामान्तरकरण भरने के बाद तैयार किया गया है, को पेश किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया और न ही कोई अन्य साक्ष्य तहसीलदार द्वारा जॉच करवाई जाने पर साबित हुआ है। तहसीलदार, बाली के द्वारा समस्त प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त अपीलान्ट को लूम्बाराम का गोदपुत्र नहीं मानकर स्व0 लूम्बाराम की एकमात्र पुत्री धरमी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 31.20.2023 को पारित किया गया है, वह उचित है।

10. रेस्पोडेण्ट संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक विधवा औरत है, जो वृद्धावस्था में है, उसको तंग व परेशान करने हेतु अपीलान्ट द्वारा पहले भूराराम पुत्र भीखाजी के पक्ष में तारीख 18.04.2019 को एक रजिस्ट्री करवाई एवं भूराराम के नाम का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया गया एवं बाद में जब सक्षम न्यायालय द्वारा गलत व गैर कानूनी रूप से भरवाये गये फौतेदगी नामा0 संख्या 1078 खारिज कर दिया तब अपीलान्ट के द्वारा उक्त रजिस्ट्री के बेचान को छुपाते हुए केवल मात्र रेस्पो0 संख्या

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

एक को तंग व परेशान करने हेतु यह अपील पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की इस अपील को खारिज किया जावे।

11. हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि ख0सं0 534, 953 कुल रकबा 2.79 हैक्टर भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खातेदार लूम्बाराम पुत्र पूनाराम के नाम दर्ज रही है। श्री लूम्बाराम के फौत होने पर नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया। रेस्पो0 संख्या एक धरमी के द्वारा उक्त नामा0 को निरस्त करवाने जाने हेतु एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 21.12.2022 को स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 1078 दिनांक 5.6.2009 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक लुम्बाराम पुत्र पनाराम के वारिसान की जॉच करते हुए रेस्पो0 संख्या एक एवं अन्य के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार, बाली के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 की अनुपालना में प्रकरण संख्या 68/2023 अनवान धरमी बनाम सुरेश वगैराह दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब करते हुए तथा दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 31.10.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए नामा0 संख्या 1078 को निरस्त कर रेस्पो0 संख्या एक धरमी पुत्र लुम्बाराम के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

12. अपीलान्ट ने प्रस्तुत इस अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलान्ट स्व0 लूम्बाराम के गोद चला गया था तथा श्री लूम्बाराम के जीवनकाल में ही अपीलान्ट को वर्ष 1987 में गोद लिया गया था जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में एक लिखत दिनांक 20.10.2015 की पेश की गई थी और अपीलान्ट को ही स्व. लूम्बाराम का गोदपुत्र होना दर्शाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त लिखत के अलावा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा/साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं करने के आधार पर तथा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 धरमी को स्व. लूम्बाराम की एकमात्र जीवित पुत्री/उत्तराधिकारी

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बताये जाने के आधार पर धरमी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के जो आदेश दिनांक 31.10.2023 पारित किये गये है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्ट के द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष गोद जाने सम्बन्धी कोई रजिस्टर्ड/अनरजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया गया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि श्री लूम्बाराम के जीवनकाल में अपीलान्ट को गोद लिया जाकर गोद सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाई गई हो। मात्र कथनीय आधार पर अपीलान्ट को स्व. लूम्बाराम के गोद चले जाना तथा उन्हें उनका वारिस एवं उत्तराधिकारी मान लिया जाना स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2023 विधि के अनुरूप होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

13. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2023 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर